

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 3(1)98 / कार्मिक / प्रमुवस / 07839 /

दिनांक :

निमित्त

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक / कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त / ड्री राजस्थान, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक आर.एफ.बी.पी. जयपुर।
3. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी. / अरावली वृक्षारोपण परियोजना राजस्थान, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर / अजमेर / कोटा / उदयपुर / जोधपुर / बीकानेर / भरतपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) जयपुर / (वन्यजीव) जोधपुर / (वन्यजीव) उदयपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर) / सरिस्का अलवर / मुकन्दरा (कोटा)।
8. मुख्य वन संरक्षक वनवर्धन, जयपुर / आर.वी.पी. कोटा / एफ.पी.आर.पी. जयपुर।
9. निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर / मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर / निदेशक परिचालन राजस्थान वन विकास निगम लिमिटेड जयपुर।

विषय :- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत गठित आंतरिक शिकायत समितियों की अद्यतन सूचना भिजवाने बाबत।

संदर्भ :- विशेषाधिकारी, वन विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प 09 (13)वन/2014 दिनांक 10.06.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विशेषाधिकारी, वन विभाग ने संदर्भित पत्र द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत गठित आंतरिक शिकायत समितियों की अद्यतन सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है। क्रम संख्या 1 से 4 पर अंकित कार्यालय स्वयं के कार्यालय की एवं क्रम संख्या 5 से 9 पर अंकित कार्यालय अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों (उप वन संरक्षक/वन बन्दोबस्त अधिकारी/कार्य आयोजना अधिकारी) की संकलित सूचनायें निम्न प्रपत्र में दिनांक 16.08.2023 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करावे :-

1. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत गठित आंतरिक शिकायत समितियों की वार्षिक रिपोर्ट :

(वर्ष 2019-20 से 2022-23)

क्र. सं.	वर्ष	जिला	कार्यस्थल का नाम और पता	लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	ऐसी शिकायतों की संख्या जिनका निस्तारण किया गया	ऐसे मामलों की संख्या जो 90 दिन से अधिक अवधि तक लम्बित हैं	लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध क्रियान्वित कार्यशालाओं या जागरूता कार्यक्रमों की संख्या	नियोक्ता / प्रतिष्ठान / विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का स्वरूप
----------	------	------	-------------------------	---	--	---	---	--

2. Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013
The details of all the Internal Committees constituted in your Department in the following format:

Information about Internal Committees in Regards to Sexual Harassment at Workplace Act, 2013									
S.No.	Name of Department /Office/ Organization	Total Employees	No. and date of relevant orders issued	No. of Members in the Committee	No. of women Members	Whether Chairperson is a Woman	Whether NGO Represent at live included	Nodal Officer Name and No.	Other information
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Please attach the order copy of Internal Committee.

Signature valid

Digitally signed by Anil Banerjee
Designation: Principal Chief
Conservator of Forest
Date: 2023.08.10 11:40:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4466999



नोट :- 1. उपरोक्त सूचनाएँ बिन्दुवार पृथक-पृथक तैयार करें।

2. समस्त कार्यालय स्पष्ट, पठनीय पूर्ण वांछित सूचना परीक्षण करने के उपरांत ही इस कार्यालय को प्रेषित करें। अधीनस्थ कार्यालयों के अनावश्यक पत्रों को संलग्न नहीं करें।

भवदीय,

(अरिजीत बनर्जी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 3(1)98/कार्मिक/प्रमुवस/07839/ 3195-3308

दिनांक : 10/8/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त उप वन संरक्षक/कार्य आयोजना अधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी को भेजकर लेख है कि उपर दिये गये निर्देशों के अनुसार सूचना अपने नियंत्रण अधिकारी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करें। पत्र की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित नहीं करें।

2. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन करने हेतु।

(बृज मोहन गुप्ता)

उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Arjit Banerjee
Designation: Principal Chief
Conservator of Forest
Date: 2023.08.10 11:40:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4466999

